भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 712

05.02.2026 को उत्तर के लिए

छत्तीसगढ़ में वनों की कटाई

712 **श्रीमती फूलो देवी नेतमः**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्राथमिक वर्षावन तथा जैव-विविधता से समृद्ध क्षेत्रों की भूमि, जिसे साफ किया जा चुका है या जिसे साफ किए जाने का प्रस्ताव है, सहित खनन परियोजनाओं के लिए परिवर्तित की गई कुल वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) कितना है;

(ख) क्या सरकार ने इस परियोजना के लिए समग्र पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया है, जिसमें इसके स्थानीय समुदायों, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र तथा स्थानिक प्रजातियों पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों पर विचार किया गया हो; और

(ग) क्या वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्रस्तावित प्रतिकरात्मक वनीकरण पूरा किया जा चुका है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान, केंद्र सरकार ने वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के वनों को शामिल करते हुए खनन परियोजनाओं के लिए 18,913.64 हेक्टेयर वन भूमि के अपर्वतन हेतु पूर्व स्वीकृति प्रदान की है।

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार, राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की सलाहकार समिति द्वारा समग्र रूप से जांच की जाती है, जिसका गठन इस अधिनियम की धारा 3 के तहत किया गया है। इस तरह की जांच में वनों, वन्यजीवों और पर्यावरण पर गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के अपवर्तन के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों का आकलन करने में तत्परता शामिल है।

इसमें वनस्पति एवं जीव-जंतुओं पर परियोजना के प्रभावों को ध्यान मे रखते हुए, अतिरिक्त उपशमन उपायों जैसे मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य, वन्यजीव प्रबंधन योजनाएँ, तथा जलग्रहण क्षेत्र उपचार (कैट) योजनाएँ शामिल होती हैं, जिन्हें आवश्यकता के अनुसार मामला-दर-मामला आधार पर निर्धारित किया जाता है।

सभी कोयला खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के उपबंधों के तहत पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्राप्त करना अनिवार्य है, जिसके लिए विस्तृत पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अध्ययन किया जाता है। कोयला खनन परियोजनाओं के लिए ईआईए अध्ययन पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करता है जैसे कि भूमि-उपयोग पैटर्न और धूल, हवा, पानी और छवनि प्रदूषण के स्तर में परिवर्तन । इस आकलन के आधार पर एक व्यापक पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार की जाती है। इस योजना में धूल नियंत्रण उपाय, जल एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपाय, वनस्पति की हानि की भरपाई के लिए समवर्ती वृक्षारोपण, वन्यजीवों पर प्रतिकूल प्रभावों को कम करने हेतु वन्यजीव प्रबंधन योजनाओं का कार्यान्वयन, सुरक्षा क्षेत्रों का वनीकरण, खनित क्षेत्रों का चरणबद्ध पुनर्वास तथा सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के दौरान व्यक्त की गई चिंताओं का समाधान शामिल होता है। इन सभी के संबंध में परियोजना घटक के तहत कार्रवाई की जानी अपेक्षित होती है।

(ग) प्रतिपूरक वनीकरण कार्यकलाप प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016, सीएएफ़ नियम, 2018, तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप, विधिवत अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना (एपीओ) के अनुसार कार्यान्वित की जाती हैं। वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया हैं।

****

अनुलग्नक-I

"छत्तीसगढ़ में वनों की कटाई" के संबंध में श्रीमती फूलो देवी नेतम द्वारा पूछे गए राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 712 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक प्रतिपूरक वनीकरण क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	36.56	95.47	132.03
2.	आंध्र प्रदेश	500.91	485.11	708.54	311.12	3471.88
3.	अरुणाचल प्रदेश	1793.93	11608.44	4458.67	2858.42	20719.46
4.	असम	652.578	114.5	0	382.56	1149.64
5.	बिहार	1661.51	0	0	1321.09	3171.67
6.	चंडीगढ़	-	0.79	0.18	-	0.97
7.	छत्तीसगढ	2963.34	1541.69	465.2	467.74	7039.23
8.	दिल्ली	47.54	23.02	72.06	37.34	179.96
9.	गोवा	200	200	299	470	1209
10.	गुजरात	1019.85	3646.72	4584.53	2004.94	14103.32
11.	हरियाणा	1240.06	1870.22	1608.86	0	5012.91
12.	हिमाचल प्रदेश	876	899	885	888	4073
13.	जम्मू और कश्मीर	3545	306	1360.71	262.08	6434.79
14.	झारखंड	2734.49	3324.86	3202.83	2789.84	15739.27
15.	कर्नाटक	188.03	522.77	715.01	720.29	2761.26
16.	केरल	11.7	42.84	0	117.26	171.8
17.	लद्दाख	-	-	-	-	21746.82
18.	मध्य प्रदेश	3892.66	3585.66	3457.22	5301.66	4316.74
19.	महाराष्ट्र	633.57	218.351	182.27	544.384	666.94
20.	मणिपुर	666.94	0	0	0	114.56
21.	मेघालय	0	0	114.56	0	2570.24
22.	मिजोरम	1236.5	1303.78	29.96	0	0
23.	ओडिशा	3802.2	3501.45	4632.86	1628.66	16964.78
24.	पंजाब	311.99	644.995	800.38	940.38	4019.72
25.	राजस्थान	2147.85	808.52	444.79	1365.4	7377.15
26.	सिक्किम	106.04	183.98	94.67	53.19	609.52
27.	तमिलनाडु	0	0	82.57	0	84.76
28.	तेलंगाना	4178.16	2490.07	2052.71	551.12	13686.57
29.	त्रिपुरा	182.8	391.86	566.4	669.85	2295.23
30.	उत्तर प्रदेश	1136.58	1091.43	1604.68	1288.6	5877.16
31.	उत्तराखंड	2325.61	2738.62	2448.71	1697.24	11812.89
32.	पश्चिम बंगाल	122.42	282.03	106.17	139.92	748.25

****